IV 27/2004

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

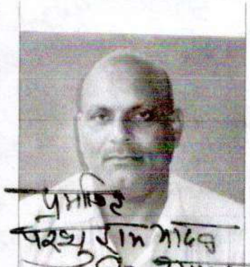

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 158117

न्यास–पत्र

हम है कि परशुराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव ग्राम–बहदियाँ, पोस्ट–बहदियाँ एवं परगना–खानपुर तहसील–सैदपुर, जिला गाजीपुर उ0प्र0 का निवासी हूँ। हम मुकिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सदभाव व सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगार को उनके योग्यता के अनुरुप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई– –चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10001 **(दस हजार एक रुपया)** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेगें। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रुपेण की जायेगी।

यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम ***"बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट"*** ग्राम–बहदियाँ, पोस्ट–बहदियाँ, परगना–खानपुर तहसील–सैदपुर, जिला गाजीपुर उ0प्र0 आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट"

परशुराम यादव

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 158116

शब्द से सम्बोधित किया गया है। उक्त न्यास के कार्य को सुचारु रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाए स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक एवं मुख्य ट्रस्टी होगें तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रुप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा; जिनकी कुल संख्या **03 से कम तथा 07 से अधिक** नही होगी। भविष्य में हम द्वारा न्यास की उद्देश्यो की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रुप से **न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल** कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रुप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है–

1. मुख्य न्यासी–श्री परशुराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव ग्राम –बहदियाँ, पोस्ट –बहदियाँ, परगना–खानपुर, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर उ0प्र0
2. परमशीला देवी पत्नी श्री परशुराम यादव ग्राम–बहदियाँ, पोस्ट–बहदियाँ, परगना– खानपुर, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर उ0प्र0
3. जवाहर यादव पुत्र श्री भैरो नाथ यादव ग्राम–बेलहीं, पोस्ट–देवचन्दपुर, परगना–सैदपुर, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर उ0प्र
4. प्रदीप यादव पुत्र श्री कमला यादव ग्राम–मोलनापुर, पोस्ट–कुसरना, परगना–केराकत, तहसील–केराकत जिला–जौनपुर उ.प्र.
5. मोहन यादव पुत्र श्री जोखन यादव ग्राम–हड़िया डीह, पोस्ट–हरिया डीह, परगना–कटेहर, तहसील–वाराणसी सदर, जिला–वाराणसी उ0प्र0